संख्या-74/2017/आर-984/26-3-2017-10(4)/2012

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 मई 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 में संचालित पूर्वदशम् (कक्षा 9 व 10) अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-17/11/ज.जा.वि./पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/2017-18, दिनांक-13.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2225-02-796-11-1101-21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन" में प्राविधानित धनराशि रूपया-110.00 लाख (रूपया एक करोड़ दस लाख मात्र) आय-व्ययक के सापेक्ष स्वीकृत लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम 05 माह (माह अप्रैल से माह अगस्त 2017 तक के लिये) हेतु कुल रूपया-45.80 लाख (रूपये पैतालिस लाख अस्सी हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लाभार्थियों हेतु किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता-1101-कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-74/2017/आर-984(1)/26-3-2017-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- राज्य योजना आयोग-1/2
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।